फर्द अहकाम

अपीलार्थी बनाम सरकार [illegible] लक्ष्मीनारायणपुरा

[illegible]म न्यायालय

[illegible]त संख्या अपील 2/17

[illegible] संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	3/10/23	पत्रावली [illegible] द्वारा आज कोर्ट [illegible] के कारण [illegible] पी0ओ0 [illegible] अतः पत्रा[illegible] 6/11/23 को पेश हो।	
	06/11/23	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब [illegible] है। अत [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 26/12/23 को [illegible] हो।	
	26/12/23	पत्रावली [illegible] पेश [illegible] न्यायिक [illegible] साहब [illegible] पूर्वानुसार [illegible] 30/1/24 [illegible] पत्रावली [illegible] पेश हो।	
	30/1/24	[illegible] साहब [illegible] रहने [illegible] रा [illegible] के [illegible] गा [illegible] 5/3/24 को प्रस्तुत हो।	
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/5/24 को पेश हो।	
	7/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] वकील अपीलार्थी ने बहस [illegible] अपीलार्थी की ओर [illegible] की जाकर विस्तृत [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया [illegible] फैसला सुनाया [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील संख्या : 29 / 2017
निर्णय दिनांक : 07.05.2024

...ारसी पत्नि लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम रामपुराऊती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
...रोडूराम पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम रामपुराऊती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
मुकेश पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम रामपुराऊंती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
उर्मिला पत्नि कैलाश पुत्रवधु लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम रामपुराऊंती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
मथुरा पुत्री लक्ष्मण पत्नि बंशी जाति जाट निवासी कीरतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
रूकेश पुत्री लक्ष्मण पत्नि सीताराम जाति जाट निवासी ग्राम ढेड्डू तहसील मोजमाबाद, तहसील जयपुर।

अपीलांट्स

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत रामपुराऊंति, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.08.2014 खाता संख्या 86 के बाबत ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील सांगानेर, द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत रामपुराऊंति

अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील का विवरण निम्न प्रकार कि वाके ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी के जमाबंदी संवत 2069–2072 के आधार पर खाता संख्या 48, 86, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 106 के रेकार्डेड सहखातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण के पिता लक्ष्मण पुत्र काना पि० मु० रामनाथ थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक 28.06.2014 को हो गया, जिनकी विरासत का उक्त खाता संख्या में वर्णित आराजियात ... नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.08.2014 के ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। जि... संख्या 86 में वर्णित आराजियात में खसरा नंबर 18 रकबा ... स्वर्गीय लक्ष्मण पुत्र काना पि० मु० रामनाथ के ... अपीलार्थी... हिस्से गलत अंकित कर दिये, जिससे पीड़ित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष नामान्तकरण संख्या 190 में खाता संख्या 86 में स्वीकृत हुए गलत हिस्से के विरूद्ध निम्नलिखित मुख्य–मुख्य आधारो पेश की जा रही है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.08.2014 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 86 के बाबत स्वीकृत नामान्तकरण विधि, विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील सांगानेर के खाता संख्या 86 के बाबत स्वीकृत नामान्तकरण के कॉलम नंबर 7 मे दर्ज सहखातेदार लक्ष्मण पुत्र काना हिस्सा 3/80 लक्ष्मण पि०मु० रामनाथ हिस्सा 9/32 इस प्रकार लक्ष्मण का कुल हिस्सा 51/160 में कॉलम नंबर 9 में अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक का हिस्सा 51/960 दर्ज होना चाहिए लेकिन नामान्तकरण में उक्त खाते में अपीलार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/2160 अंकित होकर नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। इस प्रकार प्रश्नाधीन नामान्तकरण संख्या 190 खाता संख्या 86 तक निरस्तनीय है। खाता संख्या 86 में मृतक लक्ष्मण की विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम गलत हिस्से अंकित कर दिया जबकि अपीलार्थी प्रत्येक अपने पिता के खातेदारी में हिस्सा 51/960 का नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए प्रश्नाधीन नामान्तकरण में खाता संख्या 86 के बाबत कॉलम संख्या 7 मे नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करना चाहिए था। खाता संख्या 86 बाबत प्रश्नाधीन स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 190 में अपीलार्थीगण के हिस्से बाबत हुई त्रुटि सहवन से हुई है जिसके बाबत अपील स्वीकार की जाकर खाता संख्या 86 बाबत नामान्तकरण में दुरूस्ती किया जना न्यायोचित है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.08.2014 को स्वीकृत हुआ जो खाता संख्या 86 के अलावा अन्य खाता संख्या 48, 95, 96, 99, 100 105, 106 बाबत भी स्वीकृत हुआ है। इसलिए अपीलार्थीगण का खाता 86 में अपीलार्थीगण के गलत हिस्से के स्वीकृत होने की जानकारी नही हो पाई। खाता संख्या 86 में वर्णित खसरा नंबर 18 रकबा 1.25 हैक्टेयर की जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 24.5.2016 को प्राप्त हुई, तब उक्त खाते में अपीलार्थीगण का हिस्सा जरिये नामान्तकरण संख्या 190 से गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। जिस पर न्याय आपके द्वारा 2016 में कैम्प दिनांक 23.6.2016 को खाता संख्या 86 में हिस्सा सही किये जाने बाबत अपीलार्थी मुकेश ने पेश किया। जिस पर नामान्तकरण संख्या 190 के विरूद्ध अपील पेश करने की हिदायत अपीलार्थीगण को दी इजमाबंदीड गई। जिस पर समस्त कागजात एकत्रित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसके बाबत अपील पेश करने में हुई देरी को मियाद से माफी दिये जाने बाबत अलग से आधार 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 खाता संख्या 86 में अंकित अपीलार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा 51/960 दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार तहसील सांगानेर को प्रदान करने की कृपा करें तथा तदानुसार नामान्तकरण संख्या 190 के खाता संख्या 86 में संशोधन किया जावे और रेकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रस्पॉडे[illegible] नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी ने संशोधित उन[illegible] किया [illegible] अपीलार्थीगण

बहस अपीलार्थीगण अधिवक्तागण [illegible]

अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 खाता संख्या 86 में अंकित अपीलार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा 51/960 दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार तहसील सांगानेर को प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

करने की कृपा करें तथा तदानुसार नामान्तकरण संख्या 190 के खाता संख्या 86 में संशोधन किया जावे और रेकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः ग्राम पंचायत रामपुराऊंति द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.08.2014 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य सबूतो का समूचित अवसर देते हुये पुनः विधिसम्वत् निर्णय पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested